न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–19/2020 दायर दिनाँक 05.08.2020

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. सुनिल कुमार पुत्र नानुराम, 2. छगनारामपुत्र बालुराम, 3. अर्जुनराम पुत्र भगवानाराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान आजवा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम	1. रामदेव पुत्र भागुराम निवासी आजवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज., तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा वकील प्रार्थीगण ।
2. श्री विकास ठोलिया वकील अप्रार्थी ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.07.2021**

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम आजवा में स्थित खेत खसरा संख्या 396/128, 397/128 व 128 के खातेदार है, उक्त खसरान् की भूमि में पहूँचने हेतू नये रास्ते के लिये आवेदन किया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जॉच व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना [illegible] पत्रांक 491 दिनॉक 06.08.2020 के संदर्भ में [illegible] 2020 [illegible] तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट अदालत में पेश की गयी। जिसका अप्रार्थी [illegible] ने एतराज किया जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता को कोई एतराज नहीं है, और

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के बताये अनुसार पुनः दिनॉक 11.02.2021 को तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित किया।

दिनॉक 11.02.2021 के आदेश की पालना में मौका रिपोर्ट मय नजरीनक्शा के प्राप्त हुयी, जिस पर भी अप्रार्थीगण की और से दिनॉक 19.07.2021 को उनके अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट पर एतराज हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब पेश करना नहीं चाहते है।

वकुलाय उपस्थित, बहस सुनी गयी, अप्रार्थी ने एतराज किया की पूर्व दिशा की और नजदीक रास्ता लगता है, जिसकी रिपोर्ट मंगवानी आवश्यक है। पटवारी और तहसीलदार डीडवाना सही रिपोर्ट लेकर नहीं आये है। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की पूर्व में दिनॉक 19.08.2020 को पटवारी व तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट लाये है जो श्रीमान के समक्ष पेश है, तथा अप्रार्थी के ऐतराज पर पुनः दिनॉक 22.03.2021 के जरिये तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश की है, जिस पर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को मार्क A से B से दर्शाया गया है तथा दिनॉक 19.08.2020 को बनायी गयी रिपोर्ट में भी मार्क A से B को प्रार्थीगण के खेतो से लगने वाला सबसे नजदीक का रास्ता बताया है तथा दिनॉक 22.03.2021 की रिपोर्ट अप्रार्थीगण की उपस्थिति में बनायी गयी है, जिस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी है। अतः अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनॉक 19.07.2021 का कोई औचित्य नहीं है, मात्र मामले को लम्बा करने के उद्वेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सभी बिन्दुओं पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का घ्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपने पत्रांक 491 दिनॉक 06.08.2020 में खसरा संख्या 129 की पश्चिमी सिंव–सिंव में से होकर दर्शित A से B की भूमि को लालपेन से रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया है, जो खसरा संख्या 398/128 की भूमि में जाती है। तहसीलदार ने अपने पत्रांक 290 दिनॉक 22.03.2021 में खसरा संख्या 129 की पश्चिमी सिंव–सिंव में से होकर दर्शित A से B की भूमि को लालपेन से रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया है, जिसकी कुल लम्बाई 553 वर्ग फुट [illegible] तथा दूसरा रास्ता खसरा संख्या 396/128 के [illegible] दिशा [illegible] आता है, जो खसरा संख्या 125 व 123 में से होकर [illegible] दर्शाया है जिसकी कुल लम्बाई 634 वर्ग फुट है, जो लालस्याही [illegible] मार्क C D से दर्शित है। जो खसरा संख्या 398/128 की भूमि में जाती है। इस प्रकार प्रथम द्रष्टया साबित है कि प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

का सबसे नजदीक रास्ता खेत खसरा संख्या 129 के पश्चिम में मार्क A से B लालस्याही से दर्शित है। जिसकी दुरी मार्क सी. डी. से कम है। तहसीलदार डीडवाना की दोनो रिपोर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपोर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 129 वाके आजवा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट पत्रांक 290 दिनॉक 12.03.2021 में लालस्याही से दर्शित मार्क ए बी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उपरौक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्नभाग रहेगा, रास्ता में गयी भूमि की कीमत का वर्तमान डी0 एल0 सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भुगतान की कार्यवाही करावें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/290 दिनाँक 22.03.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **19.07.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner